**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 646**

**दिनांक 08 फरवरी, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना**

**646. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:**

 क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) की स्थापना करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश राज्य में मानव संसाधन की विशाल संभावना को देखते हुए नाइपर की स्थापना के प्रस्ताव पर आगे बढ़ेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) और (ख):** आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**(ग) और (घ):** जी, नहीं।

**(ङ):** कोलकाता (पश्चिम बंगाल ), गांधीनगर (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), रायबरेली (उत्तर प्रदेश), गुवाहाटी (असम) और हैदराबाद (तेलंगाना) में 10 नाईपर की स्थापना/सुसज्जित करने और मदुरै (तमिलनाडु) और छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में 4 नए संस्थान खोलने के लिए  एक समेकित ईएफसी प्रस्ताव  वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। तथापि, दिनांक 26.03.2018 को आयोजित सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक के दौरान, मौजूदा 6 नाईपरों को मजबूत करने और 4 नए नाईपरों की स्थापना की समीक्षा करने और 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020-2025 के दौरान उचित रूप से विचार करने का निर्णय लिया गया है।

\*\*\*\*\*